महत्वपूर्ण एवं खास

बस्तर के कई जिलों के लिए यलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

रायपुर (आरएनएस)। मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के दौरान प्रदेश के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कोण्डागांव और नारायण के साथ सुकमा के लिए ऑरेंट अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक के साथ तेज अंधड़ चलने तथा 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस स्थानों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस दौरान आसमान में तेज मेघ गर्जन तथा वज्रपात की आशंका जताई है।

राप्रसे के आधा दर्जन अफसरों का हुआ ट्रांसफर

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन ने डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टरों का ट्रांसफर किया है। जिन जिन अफसरों के ट्रांसफर हुए है वे सभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। जारी तबादला सूची में विनायक शर्मा, ममता यादव, माधुरी सोम ठाकुर, तीवारी, अशोक कुमार मार्बल और गीता रायस्त शामिल है।

अनियंत्रित टैक्टर ने घर के बाहर बैठी दो महिलाओं और बच्चों के साथ 5 को रौंदा

एक बच्ची और एक महिला की मौत, तीन गंभीर

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र अंतर्गत बेलौदी मालूद गांव में बीती देर रात एक अनियंत्रित टैक्टर ने घर के बाहर बैठी दो महिलाओं और बच्चों सहित 5 को रौंद दिया। दुर्घटना में एक बच्ची और महिला की मौत हो गई। वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हैं।जेवरा सिरसा चौकी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना बेलौदी मालूद गांव में 14 अप्रैल की रात के 9 बजे हुई। यहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर तेज रफ्तार में आया और घर के बाहर बैठी महिला व बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक 8 साल की मासूम संतोषी निषाद और उसकी मां सरस्वती देशमुख (55 साल) की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में कुल पांच लोग घायल हुए। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां संतोषी और सरस्वती को मृत घोषित कर दिया गया। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखवा दिया गया है। वहीं एक बच्ची को यशोधरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो दो अन्य का इलाज जिला अस्पताल दुर्ग में चल रहा है।

3 साल की मासूम से अनाचार, नाबालिग हिरासत में

रायपुर (आरएनएस)। दिनांक 14.04.25 को थाना पंडरी क्षेत्र में एक 13 वर्षीय विधि के साथ संघर्षरत बालक द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले 03 वर्षीय बच्ची को अपने घर में बुलाकर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुये दुष्कर्म किया गया। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और विधि के साथ संघर्षरत बालक के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 76/25 धारा 64, 65(2) बी.एन.एस एवं 4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विधि के साथ संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण में बच्ची की शारीरिक स्थिति सामान्य बताई गई है।

ऑनलाइन सट्टा वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस)। थाना तोरवा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ऑनलाइन सट्टा खेलवाने वालों पर करारी चोट करते हुए एक बड़े खाईवाल की रकम वसूली करने वाले आरोपी को धरदबोचा है। आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, 1,50,320 रुपए नकद और सट्टे से संबंधित लेनदेन का रजिस्टर और बुलेट वाहन बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में योगेश बोधवानी 25 वर्ष, निवासी शनिचरी बाजार, बाल्मीकि चौक है। आरोपी के खिलाफ धारा 7(1) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 तथा धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि तितली चौक के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी योगेश बोधवानी को रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह आईपीएल क्रिकेट मैच चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले बड़े खाईवालों की रकम वसूलने आया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने घर पर बड़ी मात्रा में सट्टे की रकम छुपा कर रखी है। आरोपी को साथ लेकर पुलिस टीम उसके निवास स्थान पहुंची, जहां से 7.38 लाख नकद और अन्य सामान बरामद किया गया।

सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का करें गुणवत्ता पूर्ण निराकरण: कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

- समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार के दूसरे चरण के क्रियान्वयन की हुई समीक्षा
- दिव्यांग छात्रों के यूडीआईडी कार्ड बनाने के दिए निर्देश
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़

सुशासन तिहार के आवेदनों को ऑनलाइन अपडेट कर संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। जिसे अब दूसरे चरण में विभागों को निराकृत करना है। सारी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी विभाग प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करेंगे। यह बातें कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज समय-सीमा की बैठक में कही। कलेक्टर गोयल ने सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के ऑनलाइन अपडेशन की जानकारी लेते हुए कहा कि जिला अधिकारी अपने विभाग से जुड़े आवेदनों के डिस्पोजल की निगरानी करेंगे। अब लगातार इसकी समीक्षा की जाएगी।

कलेक्टर गोयल ने लोकसेवा गारंटी अधिनियमों के तहत प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगले हफ्ते के बाद से नियमित रूप से यह देखा जाएगा कि कौन से आवेदन समय सीमा से बाहर जा रहे हैं। जिस अधिकारी से जुड़ा वह आवेदन होगा उन्हें आवेदन के लंबित होने का कारण भी बताना होगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर गोयल ने पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई पर सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अनुभाग अंतर्गत दर्ज ऐसे प्रकरण जिनकी जानकारी जिला पंचायत से मिली है उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई करें।

कलेक्टर गोयल ने आवास प्लस सर्वे के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत बनाए जाने वाले काड्र्स की प्रगति की समीक्षा विकासखंडवार किया गया। इसमें धीमी प्रगति को लेकर बीएमओ को अपने विकासखंडों में इस पर नियमित रूप से समीक्षा करते हुए प्रोग्रेस लाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने ब्लॉक्स में शिविर लगाने के निर्देश दिए। जहां पर भी आधार संबंधी समस्याएं आ रही हैं उसका सीएससी मैनेजर से सहयोग लेकर समाधान के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने संयुक्त टीम द्वारा बिना तारपोलिन ढकें और ओवरलोड वाहनों पर की गयी कार्रवाई के बारे में जिला परिवहन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने पर बताया गया कि संयुक्त निरीक्षण में वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग द्वारा 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया वहीं बिना तारपोलिन ढकें परिवहन पर 6 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया गया। कलेक्टर गोयल ने संयुक्त जांच दल को लगातार फील्ड में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पोषण पखवाड़ा के तहत विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों को ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट करने के निर्देश कलेक्टर गोयल ने सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने जिले के अलग-अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को संबंधित समितियों से अनुमोदन कर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग को ई-केवायसी के संबंध में जानकारी लेते हुए विकासखंडवार लंबित डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सहित अन्य मदों के पूर्व वर्षों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को इसकी समीक्षा कर अगले टीएल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। कलेक्टर गोयल ने दिव्यांग स्कूली छात्रों के यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड निर्माण के बारे में समीक्षा की। बताया गया कि छात्रों के प्रकरण भेजे गए थे जिसमें से अधिकांश के कार्ड बन गए हैं। कुछ छात्रों के कार्ड नहीं बन पाए हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्व से बने कार्ड के अपडेशन या पहले से ही बने कार्ड के चलते कार्ड नहीं बन पाए हैं। कलेक्टर गोयल ने कहा कि विभागीय समन्वय करते हुए सभी दिव्यांग छात्रों को पात्रता अनुसार कार्ड बना कर दिए जाएं। कलेक्टर गोयल ने सहायक श्रमायुक्त से श्रमिक कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, आईएफएस नवीन कुमार, अपर कलेक्टर रवि राही, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय, संयुक्त कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

धरमजयगढ़ पुलिस ने सामुदायिक सहयोग के लिए नागरिकों को किया सम्मानित, कोटवार, स्वच्छता दीदियों और स्टॉफ नर्स को मिला प्रशस्ति पत्र

रायगढ़

अपराध नियंत्रण में जनसहयोग की भूमिका को प्रोत्साहित करते हुए धरमजयगढ़ पुलिस ने 14 अप्रैल 2025 को अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय और सराहनीय योगदान देने वाले नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन थाना परिसर में किया गया, जिसमें कोटवार, स्टॉफ नर्स, फॉरेस्ट विभाग के सदस्य, स्वच्छता दीदियों सहित पार्षदों को भी शामिल कर उनके कार्यों की सराहना की गई।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में जिलेभर में अपराध रोकथाम के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम द्वारा अपने क्षेत्र में समाजसेवी भावना से जुड़े लोगों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में पार्षद टार्जन भारती, पार्षद विजय यादव, विमला खेस, बालमति एक्का सहित ग्राम कोटवार, स्वास्थ्य विभाग की स्टॉफ नर्सें, फॉरेस्ट विभाग के कर्मी और स्वच्छता अभियान से जुड़ी दीदियों के नाम प्रमुख रहे।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस और समुदाय के बीच की मजबूत होती भागीदारी को सभी ने सराहा और ऐसे आयोजनों की सराहना करते हुए इसे अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम बताया। कार्यक्रम में धरमजयगढ़ थाना स्टाफ की पूर्ण उपस्थिति रही, जिससे यह संदेश गया कि पुलिस प्रशासन स्थानीय सहयोग से अपराधमुक्त समाज की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, आरोपी नौकर गिरफ्तार, लूट की रकम और हथियार बरामद

रायगढ़

लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में वृद्ध की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा महज 24 घंटे में कर लैलूंगा पुलिस ने लूट की गई रकम और हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा भी बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान राम सुखेन शर्मा (70 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से मोहनपुर में अकेले रहकर दुकान संचालित करता था।

14 अप्रैल 2025 की सुबह मृतक के छोटे भाई रामनिवास शर्मा (58), निवासी खम्हार, ने थाना लैलूंगा में मर्ग की सूचना देते हुए मृत्यु पर संदेह जताया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय चेलक ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और जप्ती योग्य साक्ष्य एकत्र किए। मृतक के शरीर पर गाल, कंधे और गर्दन में चोट के स्पष्ट निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और प्रबल हुई।

पुलिस ने मृतक के नौकर संतुराम यादव की अनुपस्थिति पर संदेह जताते हुए उसकी तत्काल तलाश शुरू की। हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर संतुराम ने अपना अपराध स्वीकार कर बताया कि उसने लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया। उसने बताया कि 13 अप्रैल को वह 800 रुपए उधार मांगकर गया था और पुनः लौटकर फिर पैसे मांगने लगा। पैसा न मिलने पर रंजिशवश रात के समय मृतक के घर में घुसकर बांस के डंडे और हाथ-मुक्के से मारकर उसकी हत्या कर दी और घर में रखे करीब 40,000 रुपए लूट लिए।

मामले में आरोपी संतुराम यादव पिता बालक राम यादव 25 साल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना लैलूंगा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 103(1), 306, 309(2), 332 बीएनएस के तहत लूट और हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर 27,500 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और पैसा रखने वाला झोला जब्त किया गया। आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस अंधे हत्याकांड के शीघ्र खुलासे में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय चेलक, एएसआई चंदन नेताम, हेमंत कश्यप, राजेश दर्शन, हेड कांस्टेबल रामरतन भगत, नंदु पैंकरा, कांस्टेबल सुखदेव साय, सुरेश मिंज, एलियस केरकेट्टा, पूनम साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति, सास और जेठानी दुष्प्रेरण के अपराध में गिरफ्तार

- कोतवाली पुलिस ने की त्वरित कार्यवाई

रायगढ़

कोतवाली थाना क्षेत्र के मंगलूडीपा निवासी राखी सिंह की आत्महत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतिका के पति प्रकाश सिंह, सास श्यामा सिंह और जेठानी प्रीति सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 20 वर्षीय राखी सिंह ने 5 अप्रैल को अपने घर में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली थी। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग क्रमांक 23/2025 धारा 194 बीएनएस के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और गवाहों ने बयान में बताया कि राखी सिंह और प्रकाश सिंह ने लगभग एक वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से ही पति प्रकाश सिंह उसे छोटी-छोटी बातों पर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। साथ ही, उसकी मां श्यामा सिंह और भाभी प्रीति सिंह भी आए दिन ताने देती थीं और मानसिक रूप से उसे परेशान करती थीं। यह सब बातें राखी अपनी मां को बताया करती थी।

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि राखी सिंह को लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग जांच को अपराध में बदलते हुए अपराध क्रमांक 155/2025 धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों—प्रकाश सिंह (उम्र 23 वर्ष), श्यामा सिंह (उम्र 42 वर्ष) और प्रीति सिंह (उम्र 24 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।

महिला संबंधी गंभीर मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, सहायक उप निरीक्षक राकेश शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक बसंती खुंटे और हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

जोबी पुलिस की कार्यवाई: मवेशी तस्करों पर शिकंजा, 24 कृषिधन कराए गए मुक्त, चार आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

रायगढ़ जिले की जोबी पुलिस ने पशु तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह जंगल के भीतर से चार तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 24 कृषक मवेशी जब्त कर उन्हें सुरक्षित मुक्त कराया गया है। मामले में सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

घटना की पुष्टि करते हुए जोबी चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी राठौर ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बड़ी संख्या में मवेशियों को सक्ती की ओर से क्रूरता पूर्वक उड़ीसा स्थित बूचड़खाने की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर टीम गठित की, जिसमें प्रधान आरक्षक दशरथ लाल सिदार, आरक्षक सुरेंद्र बंसी, अश्वनी सिदार और घनश्याम सिदार को शामिल किया गया। टीम ने ग्राम पुछीया पाली के कर्रानारा जंगल में घेराबंदी कर चारों तस्करों को मौके पर पकड़ लिया।

पकड़े गए आरोपियों में संजोग साय (38 वर्ष), अधीन साय (55 वर्ष), विक्रम सिदार (25 वर्ष) — तीनों निवासी सिंगी बाहर थाना तपकरा, जिला जशपुर तथा अवधेश सिदार (25 वर्ष), निवासी धौरासांड थाना फरसाबहार, जिला जशपुर शामिल हैं। पूछताछ में सभी ने मवेशियों को उड़ीसा के बूचड़खाने ले जाने की बात स्वीकार की। उनके पास पशुओं की ढुलाई से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और मवेशियों को रस्सियों से बांधकर, बिना चारे-पानी के निर्दयता से पीटते हुए ले जाया जा रहा था।

पुलिस ने मौके से 24 नग कृषक मवेशी बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत रु.82,000 बताई गई है। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना खरसिया अंतर्गत जोबी चौकी में कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6 एवं 10 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पशु क्रूरता और अवैध तस्करी की इस घटना में पुलिस की तेज़ कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष देखा गया है।

खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेलवे लाईन के अभिसरण में आने वाले ग्रामों में भूमि की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से लगायी गयी रोक

- खरसिया अनुभाग के ग्राम भागोडीह, घघरा, डूमरभाठा, हालाहुली, पुरेना, बड़े देवगांव, चारपारा, रतन महका, तेलीकोट, गोपीमहका, औरदा, गाडाबोरदी, गोडबोरदी, नावापारा अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित
- एसडीएम खरसिया ने जारी किया आदेश

रायगढ़

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 अप्रैल 2025 के पत्रानुसार खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेलवे लाईन के अभिसरण में आने वाले ग्रामों में भूमि की अवैध और अनाधिकृत खरीद-बिक्री की संभावना बढने की आशंका सामने आ रही है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित रेलवे लाईन की जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग और दलाल बिना किसी वैध अनुमति या कानूनी जांच के जमीन के लेन-देन में लिप्त हो जाते है। इससे ना केवल ग्रामीणों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। रेलवे लाईन के अभिसरण क्षेत्र में आने वाली सभी भूमियों की खरीद-बिक्री पर अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने और सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी किये जाने तक प्रतिबंध लगाने हेतु निवेदित है। उक्त पत्र के तारतम्य में एसडीएम खरसिया डॉ प्रियंका वर्मा ने खरसिया अनुभाग के ग्राम भागोडीह, घघरा, डूमरभाठा, हालाहुली, पुरेना, बड़े देवगांव, चारपारा, रतन महका, तेलीकोट, गोपीमहका, औरदा, गाडाबोरदी, गोडबोरदी, नावापारा अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों की खरीदी-बिक्री पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।

नौकरी के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी, पिता-पुत्र पर केस दर्ज

- जूटमिल पुलिस ने एक आरोपी को भेजा रिमांड पर

रायगढ़

जूटमिल पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले पिता-पुत्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में ठगी की कुल राशि रु.3.5 लाख बताई गई है, जिसमें आरोपी ने पीड़ित युवक से एनटीपीसी लारा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम ऐंठी थी।

थाना जूटमिल के प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव को शिकायतकर्ता झलमला निवासी कर्मवीर सिंह द्वारा की गई शिकायत जांच के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ग्राम महलोई थाना पुसौर निवासी सुदामा प्रधान और उसके पिता ने एनटीपीसी लारा में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे रु.2.75 लाख ऑनलाइन (फोन पे के माध्यम से) और रु.75 हजार नकद वसूले हैं।

शिकायत पर की गई जांच में जूटमिल पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाए, जिसमें सुदामा प्रधान और उसके पिता भरत प्रधान द्वारा संगठित रूप से कुल रु.3.5 लाख की ठगी की पुष्टि हुई। जांच पूरी होने पर कल थाना जूटमिल में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 126/2025 धारा 420, 120-बी भादंवि के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा दबिश देने पर आरोपी भरत प्रधान को हिरासत में ले लिया गया, जबकि उसका बेटा सुदामा फरार है।

पुलिस पूछताछ में भरत प्रधान ने कबूल किया कि दो साल पहले उसने अपने बेटे सुदामा के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक पीड़ित कर्मवीर सिंह से नौकरी दिलाने के नाम पर राशि वसूली थी, जिसे उन्होंने जमीन और मकान में खर्च कर दिया। आरोपी भरत प्रधान, उम्र 55 वर्ष, पिता स्व. उदेराम प्रधान, निवासी महलोई थाना पुसौर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

फरार आरोपी सुदामा प्रधान की तलाश में जूटमिल पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480